कांग्रेस ने बाबा साहब को उनके जीवनकाल में सम्मान नहीं दिया- भजनलाल

''संविधान गौरव दिवस'' पर भाजपा की संगोष्ठी को मुख्यमंत्री के साथ केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह व प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित किया

जयपुर, 26 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक संविधान की भावना के विपरीत कार्य करते हुए संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को उनके जीवनकाल में वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे अधिकारी थे। वर्ष 1951-52 और 1954 के चुनावों में उन्हें हराने का पाप किया। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बाबा साहब से जुड़े पंचतीर्थों का विकास

- डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि बाबा साहब के विचारों को आयोजनों तक सीमित न रख कर नई पीढ़ी तक पहुँचाया जाना चाहिए।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संविधान गौरव दिवस पर बाबा साहब के जीवन के स्मरणों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे।

किया गया और उनके जीवन, संघर्ष एवं विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई गई।

भारतीय जनता पार्टी की ओर से ''संविधान गौरव दिवस'' के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित संगोष्ठी में केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान का स्मरण करते हुए, संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और सामाजिक न्याय के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में बाबा साहब के जीवन के संस्मरणों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई।

केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने संविधान गौरव दिवस संगोष्ठी में कहा कि देशभर में मनाया जा रहा संविधान गौरव दिवस बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रति भाजपा और उसके विचार परिवार की श्रद्धा, सम्मान और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि बाबा साहब के विचारों और संविधान के मूल्यों को केवल आयोजनों तक सीमित न रखकर, नई पीढ़ी तक पहुँचाया जाए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में दिन-रात मेहनत कर देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक संविधान दिया।

भारत ने 25-26 में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया

नई दिल्ली, 26 नवंबर। भारतीय कृषि क्षेत्र ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में वर्ष 2025-26 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 3785.38 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 208.06 लाख टन अधिक है।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री

- देश में इस अवधि में 3785.38 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष से 208.06 लाख टन अधिक है।
- वर्ष 2025-26 में चावल का उत्पादन बढ़ कर 1551.54 लाख टन हुआ

शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता में वर्ष 2025-26 की प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम उत्पादन अनुमान और वर्ष 2026-27 के खरीफ सीजन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए।

कृषि मंत्री द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के मुताबिक चावल उत्पादन में भी नया रिकॉर्ड बना है। वर्ष 2025-26 में चावल का उत्पादन बढ़ कर 1551.54 लाख टन पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 49.70 लाख टन अधिक है। वहीं गेहूं का उत्पादन 1220.64 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष से 41.19 लाख टन ज्यादा है।

सेंट्रल पार्क में ''स्पोर्ट्स एरीना'' बनाने के जेडीए के निर्णय पर रोक की मांग

- जेडीए द्वारा आमंत्रित 5 करोड़ रु. की निविदा के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर।

जयपुर, 26 नवम्बर (कासं)। स्टेच्यू सर्किल स्थित सेंट्रल पार्क के लिलिपूल क्षेत्र में 5 वर्ष के लिए एक निजी पार्टी को ''स्पोर्ट्स एरिना'' (खेलकूद की जगह) बनाने के लिए जेडीए द्वारा 5 करोड़ रु. की निविदा आमंत्रित करने का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा। इसके मुताबिक करीब 7663 वर्ग मीटर जमीन पर यह ''स्पोर्ट्स एरिना'' बनाया जाना प्रस्तावित है।

याचिकाकर्ता विजय सिंह पूनियां और विनय बापना ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि वे अधिवक्ता हैं और जयपुर के पर्यावरण संरक्षण मुहिम से जुड़े हैं तथा सेंट्रल पार्क में प्रतिदिन वॉक के लिए जाते हैं। उनका कहना है कि जेडीए द्वारा आमंत्रित निविदा, हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा वर्ष 2001 में दिए गए आदेश का सीधा उल्लंघन हैं, क्योंकि अदालत ने आदेश दिया था कि रामबाग कॉम्पलेक्स में एक पार्क हो, एक गोल्फ कोर्स व पोलो ग्राउंड हो। इस आदेश में यह भी तय किया गया था कि पार्क की कुल 175.50 एकड़ जमीन में से 63.65 एकड़ जमीन पार्क के लिए आरक्षित होगी, जबकि शेष भूमि पर खेलकूद से जुड़ी गतिविधियां हो सकेंगी।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सेंट्रल पार्क का लिलिपूल एरिया, जो काफी कानूनी विवादों के बाद सेंट्रल पार्क में जोड़ा गया है, पर विभिन्न दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी हैं, इसलिए यहां पेड़ों को हटाकर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने की निविदा खारिज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेडीए स्वयं सेंट्रल पार्क में खेलकूद से संबंधित किसी भी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी लगाता है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश तथा जेडीए के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेंट्रल पार्क के नजदीक ही एसएमएस स्टेडियम हैं, जहां पर कई तरह के खेलों से जुड़ी गतिविधियां होती हैं। ऐसे में यहां एक और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाया जाना कतई उचित नहीं है।

याचिककर्ताओं ने मामले के निस्तारण तक जेडीए की निविदा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी अदालत के समक्ष रखी है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ बापना ने पैरवी की।

क्या जेनसेन हुआंग की वापसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

माना जाता है कि डॉनल्ड ट्रंप ने जेन्सेन की वापसी से जुड़े कुछ ही सौदों में 15 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ कमाया। बहरहाल, एनवीडिया कई वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रही है और आपात स्थितियों से निपटने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं।

एक आलोचक ने सवाल उठाया है कि यदि किसी कंपनी का सीईओ तेज रफ्तार बस की चपेट में आ जाए, तो उस बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनी तथा उसके भविष्य का क्या होगा? यह कंपनी के शीर्ष प्रबंधन और निदेशक मंडल की एक बड़ी नाकामी है कि उन्होंने किसी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई उत्तराधिकार योजना (सक्सैशन प्लान) तैयार नहीं की थी।

यह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की कार्यक्षमता और इस बात पर नजर रखने की उनकी क्षमता पर भी सवाल उठाता है कि चीनी जासूस किस तरह कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों से संपर्क बनाकर उच्च तकनीक वाले उत्पादों की जानकारी चुरा सकते हैं। जेन्सेन का उस महिला जासूस के साथ संबंध कई वर्षों तक सबके सामने बना रहा, और बाद में जाकर यह पूरा मामला सामने आया।

कई मायनों में एनवीडिया से जुड़ा यह मामला एक मील का पत्थर है। कंपनी ने बिना ज्यादा सोचे-समझे अपनी सबसे गोपनीय तकनीक चीनियों को खुशी-खुशी सौंप दी थी। अब खबरों के मुताबिक, चीनी इंटरनेट सेवाओं पर जेन्सेन हुआंग से जुड़े घटनाक्रमों की कहानियां छाई हुई हैं। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों को डर है कि इतनी बड़ी और चर्चित गलती के बाद कंपनी के भविष्य पर संकट के बादल छा सकते हैं।

यूपी में रोचक ''पोस्टर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया है। साथ ही अखिलेश यादव की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा पर भी सवाल उठाए गए हैं।

वहीं, समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स पर यह संदेश दिया जा रहा है : ''जो बुलडोजर लेकर आए थे, वे साइकिल पर जाएंगे।'' इसके जरिए योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर निशाना साधा गया है। साथ ही, पार्टी अपने पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले का भी प्रचार कर रही है। इसके लिए लिखा गया है, ''रास्ता ब्राह्मण दिखाएंगे, केवट पार लगाएंगे।'' सपा ने पोस्टरों के जरिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच मतभेदों पर भी निशाना साधा है। इन पोस्टरों में सहयोगी दलों के नेताओं को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया है।

कांग्रेस भी इस पोस्टर वार में शामिल हो गई है। उनके बैनरों में दावा किया गया है कि ''200 सीटें हमारा हक हैं।'' इन पोस्टरों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश के नेताओं की तस्वीरें भी हैं। सपा और कांग्रेस, दोनों का ही आरोप है कि इनमें से कुछ पोस्टर भाजपा की ओर से तैयार किए गए ''फर्जी'' पोस्टर हैं, जिनका मकसद सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में आपसी मतभेद पैदा करना है।

''सामाजिक परिवर्तन मोर्चा'' के बैनर तले , चंद्रशेखर आज़ाद की ''आज़ाद समाज पार्टी'' के साथ गठबंधन करने वाली एआईएमआईएम भी पोस्टर वॉर का निशाना बनी हुई है। रायबरेली जैसी जगहों पर लगे होर्डिंग्स में इस नए मोर्चे को भाजपा की ''बी टीम'' बताया गया है, जिसके जवाब में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एआईएमआईएम ने सपा और कांग्रेस के बीच हाल में हुई बयानबाजी का फायदा उठाया है और खुद को मुस्लिम और दलित मतदाताओं के लिए एक वैकल्पिक राजनीतिक आवाज के रूप में पेश कर रही है। वहीं, बसपा के पोस्टरों में ''दोहरे चरित्र वाले'' लोगों से सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है।

असि. प्रोफेसर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, आरपीएससी की ओर से परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया कि सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र सभी विषयों में समान होने के चलते सभी विषयों के 992 पदों पर भर्ती बाधित हो गई है। भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के बाद अंक सार्वजनिक करने से इसकी गोपनीयता भंग होती है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले लिखित परीक्षा के अंक सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। ऐसे में परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटाया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रोक को हटाते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल कर परिणाम को याचिका के अधीन रखा है।

आबकारी घोटाले में केजरीवाल को बरी करने को हाईकोर्ट में चुनौती

सीबीआई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फैसला देते समय अहम् सबूतों को नज़रअंदाज किया

- जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई 9 और 10 दिसम्बर को करने का आदेश दिया।

नई दिल्ली, 26 नवंबर। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल समेत, 23 आरोपियों को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में अहम सबूतों को नजरअंदाज किया गया था।

जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 और 10 दिसंबर को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के आरोपमुक्ति आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसे शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया जाए। सीबीआई ने कहा कि आपराधिक साजिश के पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और इस मामले को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सबूतों का मूल्यांकन किया और एक तरह से मिनी ट्रायल चलाया।

उच्च न्यायालय ने 9 मार्च को केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि वे दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की आगे सुनवाई नहीं करे।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास है। न्यायालय ने कहा कि हजारों पेजों की चार्जशीट में पेश किये गए तथ्य गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे। केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को तब रिहा हुए, जब उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के मामले में जमानत दी।

भाजपा 25 दिसम्बर सेवादूत अभियान चलायेगी

नई दिल्ली, 26 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में 1 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 तक 'सेवा दूत अभियान' चलाएगी।

25 दिन तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान का समापन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर होगा। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

अभियान के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और चयनित कार्यकर्ताओं को अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में 25 दिनों के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन्हें 'सेवा दूत' या 'विस्तारक' के रूप में तैनात किया जाएगा। ये कार्यकर्ता संबंधित विधानसभा क्षेत्र में रहकर जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क करेंगे।

पुलिस पीसीआर में शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई, शराब पीने वालों की पहचान हुई

जयपुर, 26 नवम्बर। राजधानी में पुलिस की पीसीआर वैन में शराब पार्टी करने और फिल्मी गाने पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने पांच युवकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 13 सितंबर 2026 को एसएमएस अस्पताल थाना क्षेत्र स्थित सवाना बार के बाहर सरकारी पुलिस वाहन में बैठकर शराब पार्टी करते हुए वीडियो बनाया था।

- पुलिस के अनुसार,13 सितम्बर 2026 को एसएमएस थाना क्षेत्र के सवाना बार के बाहर पुलिस की पीसीआर वैन में शराब पीने की वीडियो बनाई गई। दो युवक वैन में बैठकर पी रहे थे व उनके साथी सड़क पर शराब पीते हुए वीडियो बना रहे थे।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच करवाई गई। सवाना बार संचालक से पूछताछ के आधार पर वीडियो में दिखाई दे रहे पांच युवकों की पहचान भव्य खंडेलवाल, आशुतोष चक्रवर्ती, गोपाल, मृणाल और अमन जैन के रूप में हुई। पुलिस ने पांचों के खिलाफ एसएमएस अस्पताल थाने में मामला दर्ज किया है।

वायरल वीडियो में दो युवक पुलिस की नीली पीसीआर वैन के अंदर बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं, जबकि उनके साथी सड़क पर शराब पीते हुए वीडियो बना रहे हैं। वाहन में लाल-नीली बत्ती और वायरलेस सिस्टम भी दिखाई दे रहा है। वीडियो के साथ आशुतोष नाम के युवक के लिये जन्मदिन की बधाई का संदेश भी था।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356(2) व 356(3), आईटी एक्ट की धारा 66 और पीडीपीपी एक्ट की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच मोती डूंगरी थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल को सौंपी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

डीसीपी रंजिता शर्मा ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहा वाहन नंबर एसएमएस थाने की पीसीआर वैन से मेल खाता है, हालांकि वर्तमान में थाने में दूसरी पीसीआर वैन संचालित है। वीडियो कब बनाया गया और सरकारी वाहन युवकों तक कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी पुलिसकर्मी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आप से भाजपा में आए सांसदों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके अलावा, अशोक मित्तल को जालंधर, लुधियाना और होशियारपुर लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली हिंदू बहुल 14 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजिंदर गुप्ता को लुधियाना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बाकी विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा ने इन सांसदों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगा दें। उन्हें यह भी बता दिया गया है कि पार्टी में उनकी भविष्य की भूमिका उन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, जिनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है।इन सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रबंधन, बूथ स्तर के कामकाज, प्रचार के प्रमुख मुद्दों और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार पर ध्यान देने को कहा गया है। उन्हें चुनाव प्रचार की सामग्री और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

कवरेज के दौरान 7 पत्रकारों के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की जांच होगी

नई दिल्ली, 26 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अक्टूबर में हुए विरोध प्रदर्शन की कवरेज के दौरान, केरल के सात पत्रकारों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार और अवैध हिरासत के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को पूर्व जज जस्टिस सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपा है, जिसके समक्ष पत्रकारों को अपने साक्ष्य पेश करने होंगे।

- सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व जस्टिस सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति को जांच सौंपी।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि वह प्रदर्शन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों को कवर करने वाले पत्रकारों के अधिकारों से जुड़े व्यापक कानूनी सवालों पर भी विचार करेगा। जस्टिस बागची ने कहा कि विचार करने योग्य एक सवाल यह भी है कि क्या प्रदर्शनों को कवर करते समय पत्रकारों को कोई विशेष या अलग तरह का संरक्षण प्राप्त होता है या ऐसी स्थितियों में उनके अधिकार भी आम जनता के अधिकारों की तरह ही तय होते हैं।

भू-रूपांतरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मांग रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने सत्यापन के बाद अभियुक्त को बीस हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

यह पाकिस्तानी सेना का रहस्यमय ''मेज़र जनरल'' कौन है?

26/11 के पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में आतंकवादियों को ''ट्रेनिंग'' देने में इसकी अहम् भूमिका थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमलों को 18 साल हो चुके हैं। इस भीषण हमले में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की भूमिका पूरी तरह साबित हो चुकी है, लेकिन इस साजिश में शामिल एक रहस्यमय व्यक्ति अब भी पर्दे के पीछे बना हुआ है।

- 32 पाकिस्तानियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है भारत में। सभी प्रशिक्षकों की शनाख्त की जा चुकी है। पर, 2009 में दाखिल चार्जशीट में अभी इस मेजर जनरल की पहचान नहीं हो पाई है।
- आतंकवादी कसाब ने अपने इकबालिया बयान में भी मेजर जनरल की अहम् भूमिका का विस्तार से वर्णन किया है, पर, इस मेजर जनरल की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

इस अज्ञात अधिकारी, जिसे केवल उसके पद (रैंक) से पहचाना जाता है, का जिक्र 26/11 से जुड़े आरोपपत्रों (चार्जशीट) और मुकदमे के दस्तावेजों में बार-बार सामने आता है।

उसकी पहचान ''आरोपी नंबर 20 : मेजर जनरल साहब - नाम अज्ञात'' के रूप में दर्ज है। 2009 के आरोप पत्र में शामिल पाकिस्तान के 32 लोगों में से वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है।

जीवित पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब ने पूछताछ के दौरान विस्तार से बताया था कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला करने वाले 10 आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने में ''मेजर जनरल साहब'' की क्या भूमिका थी।

कसाब और डेविड हेडली के बयानों के आधार पर तैयार किये गए एनआईए के आरोपपत्र (चार्जशीट) में पाकिस्तान सेना के कई अधिकारियों के नाम शामिल किए गए थे। इनमें मेजर जनरल मुहम्मद खालिद राव, स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गनाइज़ेशन (एससीओ) के कर्नल सादातुल्लाह, मेजर इकबाल और उनके वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हमज़ा शामिल थे। लेकिन ''मेजर जनरल साहब'' की पहचान अब भी रहस्य बनी हुई है।

इस मेजर जनरल की कोई तस्वीर या स्कैच भी उपलब्ध नहीं है। उसकी पहचान से जुड़ा एकमात्र सुराग कसाब की पुलिस पूछताछ रिपोर्ट में मिलता है।

मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में कसाब ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और पाकिस्तान सेना की ओर से दिए गए प्रशिक्षण के अलग-अलग स्तरों के बारे में विस्तार से बताया था। उसके बयान में ''मेजर जनरल साहब'' नाम के उस रहस्यमय व्यक्ति का भी जिक्र था, जो मुज़फ्फराबाद स्थित लश्कर के प्रशिक्षण शिविर में आया करता था।

कसाब ने पूछताछ करने वालों को बताया, था, ''प्रशिक्षण के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति भी वहां मौजूद था। उस समय हाफिज़ सईद और लखवी वहां आए और उस अज्ञात व्यक्ति से मिले तथा उसे गले लगाया। इसके बाद से उसे ''मेजर जनरल'' कहा जाने लगा। ''मेजर जनरल'' ने आठ सप्ताह तक चले उस प्रशिक्षण की निगरानी की, जिसने हमें ''पक्का जिहादी'' बना दिया।

कसाब के अनुसार, अगस्त 2008 में ''मेजर जनरल'' एक बार फिर लश्कर के प्रशिक्षण शिविर में आया था। वह वहां भर्ती किए गए लोगों को ''प्रेरित-प्रोत्साहित करने'' आया था। उसने कसाब से यह भी पूछा था कि क्या उसे तैरना आता है।

कसाब ने बताया, ''मेजर जनरल इस शिविर में आया और सईद तथा लखवी को गले लगाने के बाद, उन्हें अलग ले जाकर उनसे अकेले में बातचीत की। जब तीनों वापस लौटे, तो लखवी ने कहा कि मेजर जनरल हमारी तैयारी की परीक्षा लेना चाहते हैं। मेजर जनरल ने हाफिज़ सईद से कहा, ''सईद साहब, आप टारगैट लगवाइए।'' सईद ने प्रशिक्षण के कमांडर से 10 टारगैट लगाने को कहा और फिर बोला, ''जब मैं गोली चलाने के लिए कहूं, तो तुम सभी एक-एक गोली चलाना और जब मैं गोली चलाने के लिए दो बार कहूं, तो तेजी से लगातार गोलियां चलाना।'' इशारा मिलते ही, सभी 10 आतंकवादियों ने गोली चलाईं और निशाने पर वार किये।''

कसाब ने यह भी बताया कि ड्रिल के बाद मेजर जनरल ने उसकी पीठ थपथपाई थी।

ज्ञातव्य है कि 26 नवंबर की रात जब 10 आतंकवादियों ने इस महानगर के चुनिंदा ठिकानों पर हमला किया था, तब 26 विदेशियों सहित, 170 से अधिक लोग मारे गए थे। आतंकियों ने दो पांच सितारा होटलों में बहुत से लोगों को 60 घंटे तक बंधक बनाकर भी रखा था।

असम में घुसपैठ करते 13 बांग्लादेशी पकड़े गये

बंगाईगाव (असम), 26 नवम्बर। असम के जोगीघोपा में पुलिस ने अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों के जिले में प्रवेश करने की सूचना के आधार पर, बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। यह विशेष अभियान गुरुवार की तड़के जोगीघोपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारायण सेतु पर चलाया गया। बंगाईगांव जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नोमल महतो ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस को सूत्रों से सूचना मिली थी कि सीमावर्ती राज्यों से कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक जिले में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908